न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 12/2016

अपीलान्ट

उकाराम पुत्र गमनाजी के का0मु0

1 जोजू पत्नी उकाराम
2 अशोक कुमार पुत्र उकाराम
3 रमेश कुमार पुत्र उकाराम
4 रूकमणी पुत्री उकाराम
5 प्रदीप कुमार पुत्र उकाराम के का0मु0
5.1 टीपू बेवा प्रदीपकुमार
5.2 संजय पुत्र प्रदीपकुमार
5.3 रजनी पुत्री प्रदीपकुमार, अपीलाण्ट संख्या 5.2 व 5.3 नाबालिग जरिए कुदरती वली माता टीपू बेवा प्रदीपकुमार जातिगण मेघवाल निवासीगण भीनमाल रोड़, जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जालोर
2 कुयाराम पुत्र गमाराम मेघवाल
3 दलाराम पुत्र गमाराम मेघवाल निवासीगण भीनमाल रोड, जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
श्री हीरालाल गहलोत, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 9.4.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/2011 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.11.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस में निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पति/पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम जालोर सी के खसरा नम्बर 2441, 2443, 2464, 2465 कुल खसरा 4 जिसका कुल रकबा 3.84 हैक्टेयर की भूमि की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिसका आधार यह था कि गत खसरा नम्बर 2042 की भूमि पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पूर्वज लाली पत्नी गोगा का काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का कब्जा काश्त था, जो खसरा परिवर्तनशील आदि दस्तावेजात् से साबित होता है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 काबिज काश्त है। उक्त भूमि को अपीलाण्ट द्वारा मेहनत से कृषि योग्य बनाया है, जिसकी खातेदारी अधिकार प्रदान न कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के हक हकूकों पर कुठाराघात किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में जो तनकीयात कायम की है, उनका विधि अनुसार विनिश्चिय नहीं किया गया, जबकि अपीलाण्ट्स द्वारा उन तनकीयात को अपने पक्ष में साबित करने हेतु पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाये थे। जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का सेटल पज़ेशन है तथा राजकीय भूमि पर 30 वर्ष पुराना कब्जा होने की स्थिति में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए वादस्थ भूमि का अपीलाण्ट को खातेदार घोषित करावें तथा रेस्पोडेन्ट को अपीलाण्ट के कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें, विकल्पेण राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटन में अपीलाण्ट को प्राथमिकता प्रदान करने हेतु उपखण्ड अधिकार जालोर को निर्देश प्रदान किये जावे एवं प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। यदि अपीलाण्ट उक्त भूमि पर किसी भी रूप में काबिज है, तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिसे विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में विधि विरूद्ध माना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावलनी पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा मौजा जालोर सी के खसरा नम्बर 2441, 2443, 2464, 2465 कुल खसरा 4 जिसका कुल रकबा 3.84 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिकूल कब्जा होने के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा तथा अपने कथनों के समर्थन में जमाबन्दी की प्रति, खसरा गिरदावरी की प्रतियां, नक्शा ट्रेस की प्रति, धारा 91 के तहत जारी नोटिस एवं उसमें पारित आदेश, अपीलीय आदेश की प्रतियां प्रस्तुत की। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधर पर चार तनकीयात कायम की गई, जो इस प्रकार है – (1) आया विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 2441, 2443, 2444, 1464, 2465 पुराने खसरा नम्बर 2042 कुल रकबा 3.84 हैक्टेयर के खातेदारी हक वादीगण एड़वर्स पज़ेशन के आधार पर प्राप्त करने के अधिकारी है ? जिम्मे वादीगण। (2) आया वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं किये जाने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है ? जिम्मे वादीगण। (3) आया दावा वादीगण म्याद बाहर है ? जिम्मे प्रतिवादी। (4) आया दावा पेश करनें से पूर्व 80 सी0पी0सी0 का नोटिस वर्ष 2007 में दिया गया एवं वाद वर्ष 2011 में प्रस्तुत किया है, अतः दावा काबिल खारिज़ है ? जिम्मे प्रतिवादी। उपरोक्त तनकीयात को अपने पक्ष में सिद्ध करवाने हेतु वादी पक्ष ने गवाहो के बयान कलमबद्ध करवाये एवं इसके अतिरिक्त वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाये। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 का जो विनिश्चय किया गया है, वह विधिनुसार है, किन्तु तनकी संख्या 3 के सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत निम्न प्रकार से है – (3) आया दावा वादीगण म्याद बाहर है ? जिम्मे प्रतिवादी। यह तनकी प्रतिवादी को सिद्ध करनी थी, जो पूर्ण रूपेण कानूनी है। यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत दर्ज किया गया है, जो इसी अधिनियम की अनुसूची तीन (the third scdule) के क्रम संख्या 5 के period of Limitation None है अर्थात इस धारा के अन्तर्गत कोई Limitation नही होने से दावा मयाद बाहर नही माना जा सकता है। इस प्रकार तनकी संख्या 3 के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो विनिश्चय किया है, वह समर्थन योग्य नहीं है। अब जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1996 पेज 389 रामसिंह बनाम रजिराम में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 1997 पेज 90 विधिक प्रतिनिधि ऑफ गोमाराम व अन्य बनाम अब्दुल वहीद में भी यह प्रतिपादित किया कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती, चाहे उसका कब्जा सम्वत् 2013 से लगातार ही क्यों न हो। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में खसरा गिरदावरी की प्रतियां प्रस्तुत की है। कानूनन खसरा परिवर्तनशील, खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं है, जिसमें यदि कब्जे की प्रविष्टि हो तो भी उसके आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि भूमि पर कब्जा विधिवत दिया गया था। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/2011 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.11.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.4.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली